

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29052021-227237
SG-DL-E-29052021-227237असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 35
No. 149]	DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISTHA 7, 1943	[N. C. T. D. No. 35

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मई, 2021

सं.फा. 27 / 3 / 2003—न्यायिक/अधी0एलएडब्ल्यू/ 430—436.— विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एतद् द्वारा दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियमावली, 1996 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाए।
2. ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

नियम 13 का संशोधन :-

मूल नियमावली के नियम 13 में “एक लाख” शब्दों के स्थान पर “तीन लाख” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th May, 2021

No. F. 27/3/2003-Judl./Suptlaw/430-436.— In exercise of the powers conferred under Section 28 read with clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Delhi, hereby makes the following rules to amend the Delhi Legal Services Authorities Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Delhi Legal Services Authorities (Amendment) Rules, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment in Rule 13:-

In the principal Rules, in rule 13, the words, “One Lac”, shall be substituted with the words “Three Lacs”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)